

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 233]

नई दिल्ली, बुधवार, जनवरी 29, 2014/माघ 9, 1935

No. 233]

NEW DELHI, WEDNESDAY, JANUARY 29, 2014/MAGHA 9, 1935

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2014

का. आ. 285(अ).—केन्द्रीय सरकार, औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) की धारा 39 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन प्रतिष्ठानों में जहां औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के अधीन केन्द्र सरकार समुचित सरकार है, कामबंदी, छंटनी और बंद किया जाना के लिए अध्याय 5ख के तहत 25(ड), 25(ढ) तथा 25(ण) के अधीन किए गए आवेदनों की जांच करने तथा उन पर विचार करने के लिए श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में संयुक्त सचिव औद्योगिक संबंध को समुचित सरकार की शक्ति प्रत्यायोजित करती है।

[सं. एल-51049/1/2013-आईआर(पीजी)]

अनिल कुमार खाची, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2014

S.O. 285(E).—In exercise of the powers conferred by section 39 of the Industrial Disputes Act, 1947 (14 of 1947), the Central Government hereby delegates the powers of appropriate Government to Joint Secretary (Industrial Relations) in the Ministry of Labour & Employment to examine and consider the applications made under section 25(M), 25(N) and 25(O) under Chapter VB for lay-offs, retrenchment and closures in the establishments where Central Government is the appropriate Government under the Industrial Disputes Act, 1947.

[No. L-51049/1/2013-IR(PG)]

ANIL KUMAR KHACHI, Jt. Secy.